

LC

कमांक:- 62/24/2016-6जी0एस01

12/6
13/6/16

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार, गुडगांव तथा रोहतक मण्डल।
2. सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला सत्र व न्यायाधीश।
4. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड/निगम/समितियां।
5. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

दिनांक: चंडीगढ़ 8 जून, 2016

सभी सरकारी विभागों में जनता से संबंधित और विभागीय प्रयोग के फार्मों का हिन्दी में होना अनिवार्य करने बारे।

विषय

ALCCA/13-6-16

Pl. ensure repusiti
n/a in Consultation

With the

Undersigned

-The same shall
be ensured within
ment 10 days

आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की नियमावली 1976 के नियम 11 के अनुसार देश भर में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, उपकर्मों, बैंकों, अधिकरणों आयोगों के सभी फार्म हिन्दी में होने अनिवार्य हैं। हिन्दी के अक्षर अंग्रेजी से छोटे नहीं होने चाहिए। हिन्दी के अक्षर अंग्रेजी से पहले अथवा ऊपर होने चाहिए।

2. आपको विदित है कि हरियाणा की राजभाषा हिन्दी है और सरकार के पत्र कमांक 12/45/93-6जी0एस01, दिनांक 25.05.1993 तथा 62/37/1998-6जी0एस01, दिनांक 06.10.1999 द्वारा कार्यालयों को हिन्दी में कार्य करने के निर्देश पहले भी जारी किए गए हैं। किन्तु सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों, आयोगों, शिक्षण संस्थानों से संबंधित फार्म केवल अंग्रेजी भाषा में हैं, जिसके कारण आम जनता को इन्हें समझने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार ने मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया है कि सभी विभाग, आयोग समितियां, शिक्षण संस्थान अपने विभाग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सपष्ट अनुवाद करवाएं एवं अपनी विभागीय website पर रखना सुनिश्चित करें।

3. इन हिदायतों की अवहेलना करने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों की कड़ाई से पालना करवाएं।

URGENT/IMMEDIATE
KIND ATTENTION

Suff

13/06/2016

D.L.C. (W)

Rus

युमंड कुमार

अधीक्षक, सामान्य सेवायें-1 शाखा,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

Labour Department, Haryana, Chandigarh

Endst. No.: Estt/04/2016/ 25099-25206 Dated: 22/6/16

A copy is forwarded to the following for information & necessary action:-

- 1 All Presiding Officer, Labour Court, Haryana.
- 2 Additional Labour Commissioner (NCR) Gurgaon.
- 3 All Deputy Labour Commissioner, Haryana
- 4 All Deputy Director, (IS&H) and (IH) Haryana
- 5 All Assistant Director, (IS&H), (IH-cum-CS) and (Chemical) Haryana.
- 6 All Assistant Labour Commissioner, Haryana, W.O. Panipat, Faridkot & others.
- 7 All Branches, Headquarter.
- 8 Cell

Superintendent.(Estt)
for Labour Commissioner, Haryana

CRS